कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1032/11–सी– FP/UP/Road/43247/2019, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 02,2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद शाहजहॉपुर में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पुत्तूलाल चौराहा–रोजा अडडा चौराहा (चैनेज 0.00–2.950) हथोडा चौराहा–पुत्तूलाल चौराहा (चैनेज 0.00–2.750) जी0आई0सी0 से अटसालिया रेलवे फाटक रोड (चैनेज 0.00–3.950) बरेली रोड से गर्गा रोड (चैनेज 0.00–1.800) तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 9.16 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 523 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव सं0– **FP/UP/Road/43247/2019**

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/29/2020/एफ0सी0/640, दि0 27.05.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली ने अपने पत्रांक–802/14–1 दिनांक 29.09.2020 द्वारा उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1032/11–सी– FP/UP/Road/43247/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
2. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, शाहजहॉपुर।
3. अधिशासी, अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, शाहजहॉपुर।

(हस्ताक्षर) 2/11/20
(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।